

## बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय: मांडवी, बड़ौदा - 390 006

फार्म बी

### प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियों नं.		डीपीआईडी नं.	
		ग्राहक आईडी नं.	
(यदि शेयर डिमैटेरियलाइज्ड रूप में नहीं हों तो)		(यदि शेयर डिमैटेरियलाइज्ड रूप में हों)	
शेयरों की संख्या:			

मैं / हम \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_

जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_

बैंक ऑफ बड़ौदा का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/ श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_

जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ को अथवा उनकी अनुपस्थिति में

श्री/ श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_

जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ को मंगलवार, 13 मार्च, 2018 को प्रातः 10.00 बजे सर सयाजीराव नगरगृह,

वडोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1, एफ.पी.549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390 020 में या इसकी किसी भी स्थगित तारीख को

**बैंक ऑफ बड़ौदा** के शेयरधारकों की होने वाली **असाधारण सामान्य बैठक** में मेरी / हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती

हूँ/करते हैं.

दिनांक \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ 2018 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम : \_\_\_\_\_

पता : \_\_\_\_\_

रसीदी  
टिकट यहां  
चिपकाएं

प्रथम शेयरधारक/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

#### प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई लिखत तभी वैध माना जाएगा जब-

क. यह एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, अथवा

ख. संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, अथवा

ग. कार्पोरेट निकाय के मामले में, उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा कॉमन सील, यदि कोई हो, के तहत निष्पादित हो अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा अन्यथा रूप में हस्ताक्षरित हो.

बशर्त प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है तब यह तभी वैध माना जाएगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.

2. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक विधिवत स्टांपित न हो और उसकी कॉपी बैंक के प्रधान कार्यालय में **असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार, 08 मार्च, 2018 को सायं 5:00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ बड़ौदा, केवाईसी एवं एएमएल विभाग, प्रधान**

**कार्यालय, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. एस. सं. 576, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर पाइंट से सामने, अलकापुरी, वडोदरा - 390000** में बैंक की कार्य समाप्ति पर या इससे पूर्व जमा न कराया गया हो. इसके साथ उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षर किया गया हो या उस मुख्तारनामा की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्यप्रमाणित किया गया हो को जमा न कराया गया हो, बशर्त ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार, बैंक में /इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पूर्व में जमा तथा पंजीकृत न किया गया हो.

3. यदि संबंधित मुख्तारनामा पहले से ही पंजीकृत हो तो मुख्तारनामा की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए.

4. प्रॉक्सी का लिखत फार्म "बी" में होने पर ही वैध माना जाएगा.

5. बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी - लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगा.

6. विकल्प के तौर पर दो गारंटियों के पक्ष में दिए गए प्रॉक्सी-लिखत के मामले में, एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.

7. प्रॉक्सी-लिखत निष्पादित करने वाला शेयरधारक असाधारण सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप में मतदान का हकदार नहीं होगा.

8. किसी भी व्यक्ति को, जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, ऐसा विधिवत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा.

9. प्रॉक्सी फार्म में किए गए सभी परिवर्तन विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए.

## Bank of Baroda

Head Office : Mandvi, Baroda - 390006

### FORM "B"

## PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
No. of Shares			

I / We \_\_\_\_\_ Resident/s of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_ being a shareholder / shareholders of the Bank of Baroda, hereby appoint Shri/Smt \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_ or failing him / her, Shri / Smt \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_ as my / our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank of Baroda to be held on Tuesday, 13th March 2018 at 10.00 a.m. at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020, and at any adjournment thereof.

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2018

Signature of the Proxy \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_

Please affix  
Revenue  
Stamp

Signature of first named / Sole shareholder

### Instructions for signing and lodging the Proxy Form

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
  - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or
  - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/ her attorney, duly authorized in writing, or
  - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.  
 Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark/thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Baroda.
2. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the **Bank at Bank of Baroda, KYC-AML Department, Head Office, 7th Floor, Baroda Bhawan, R. S. No. 576, R C Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara (Guj.)-390007, not less than FOUR DAYS before the date fixed for the Extra-ordinary General Meeting, i.e. on or before 5.00**
3. **p.m. on 08th March 2018** together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank/its Registrar and Share Transfer Agent. If already registered, the Registration No. and Date be provided.
3. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B"
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.
6. The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the General Meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
8. The proxy holder may vote either "FOR" or "AGAINST" the resolution.
9. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.